



Form no III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा
श्री रामसिंह उर्फ रामलाल सिंह पिता विजय सिंह बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार
निम्बाहेडा, किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र मु.न. 35 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं परोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 218 की आराजी नंबर 1081/375 रकबा 0.0100 हैक्टयेर, आराजी नंबर 1082/511 रकबा 0.5100 हैक्टयेर, आराजी नंबर 1083/517 रकबा 0.0800 हैक्टयेर, आराजी नंबर 1084/518 रकबा 0.3300 हैक्टयेर, आराजी नंबर 1085/521 रकबा 0.4400 हैक्टयेर, आराजी नंबर 512 रकबा 0.3000 हैक्टयेर कुल किता 6 कुल रकबा 1.6700 हैक्टयेर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्थरगढी हुक्मनामा/आदेश सरे इजलास सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटरराईज्ड करा शा.फा. किया गया जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा</p>	<p>No-objection </p>

